



Form No. MORP



पंजीकरण पुस्तिका
एल.आई.जी.



विशिष्ट एल.आई.जी. यूनिट
क्षेत्रफल: 38.436 वर्ग मीटर/ 413.73 वर्ग फुट

क्रमांक	इकाई प्रकार	इकाई संख्या	मंजिल
1	एल.आई.जी.	1 से 7 और 19 से 22	भूमि से चौथी मंज़िल
		1 से 7	पांचवीं मंज़िल

आवेदन पत्र

अल्फा कॉर्प डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड

प्रधान ऑफिस: अल्फा कॉर्प डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, गोल्फ वियू कॉर्पोरेट टावर्स, टावर ए, सेक्टर 42, गोल्फ कॉर्स रोड, गुरुग्राम 122002 (हरियाणा)

रजिस्टर्ड ऑफिस: अप्पर बेसमेन्ट, अल्फा वन मॉल, एम. बी. एम. फार्म, जी. टी. रोड, सुलतान विंड सब अर्बन, अमृतसर 143001 (पंजाब)

प्रोजेक्ट ऑफिस: मेरठ वन, ग्राम रोशनपुर डोरली एवं जाटौली (70 कि.मी. माईल स्टोन, राष्ट्रीय राजमार्ग-58), दिल्ली-रुड़की बाईपास, मोदीपुरम, मेरठ (उत्तर प्रदेश)

एल0आई0जी0 (अल्प आय वर्ग) भवनों के लिए प्रार्थियों हेतु भवन योजना

पंजीकरण पुस्तिका

1. योजना का विवरण

- प्रस्तावित योजना – मेरठवन (इटीप्रेटिड टाउनशिप) ग्राम रोशनपुर डोरली एवं जाटौली, 70 कि.मी. माईल स्टोन, राष्ट्रीय राजमार्ग-58, दिल्ली-रुड़की बाईपास, मोदीपुरम, मेरठ के विकसित क्षेत्र में स्थित।
- विकासकर्ता कम्पनी – अल्फा कॉर्प डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, गोल्फ वियू कॉर्पोरेट टावर्स, टावर ए, सेक्टर 42, गोल्फ कॉर्स रोड, गुरुग्राम 122002 (हरियाणा)

2. भवनों का नाम –

- एल0आई0जी0 (अल्प आय वर्ग)

3. पंजीकरण हेतु पात्रता

- आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक भारत का नागरिक हो एवं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो। मेरठ जिले के निवासी को वरीयता दी जायगी बशर्ते आवेदक द्वारा किसी अन्य जिले में उपरोक्त योजना का लाभ प्राप्त न किया हो।
- आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के पास उ0प्र० के किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद्, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट या किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति द्वारा विकसित कॉलोनियों में अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए (परिवार से आशय पति/पत्नी एवं नाबालिंग बच्चा एवं तलाकशुदा पुत्री से है)
- आवेदक को एल0आई0जी0 (अल्प आय वर्ग) वर्ग श्रेणी का होना चाहिए तथा उसकी वार्षिक आय रु 6,00,000/- (छ: लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न करें)
- आवंटन के बाद सफल आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में प्रस्तुत तथ्यों का सत्यापन किया जा सकता है।

4. भवनों का विवरण

भवनों के प्रकार	क्षेत्रफल वर्ग मीटर (निर्मित क्षेत्र)	भवनों की संख्या	अनुमानित विक्रय मूल्य (रु0)	पंजीकरण धनराशि (रु0)	आवंटन के पश्चात् भवन का भुगतान
एल0आई0जी0 (अल्प आय वर्ग)	38.436	62	10,12,461/- (दस लाख बाराह हजार चार सौ इक्सठ रुपये)	20,000/- (बीस हजार रुपये)	भुगतान प्लॉन के अनुसार

नोट :

- (i) उपरोक्त योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा समाज के दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा निर्धारित पंजीकरण धनराशि की आधी धनराशि जमा कर पंजीकरण कराया जा सकता है।
- (ii) शासन अथवा किसी शासकीय अभिकरण द्वारा कोई अतिरिक्त टैक्स यथा GST, वैट, सर्विस टैक्स आदि रोपित किया जाता है तो वह आवंटी द्वारा अलग से देय होगा। इसके अतिरिक्त भवनों/फ्लैटों के कब्जे के समय लगने वाला शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन में आने वाला शुल्क आवंटी द्वारा देय होगा।
- (iii) लॉटरी/ड्रा द्वारा आवंटन किया जायेगा।
- (iv) आवंटन के पश्चात् वांछित धनराशि एवं किश्ते निर्धारित अवधि में जमा न करने पर विलम्ब अवधि के लिए 13 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।
- (v) विलम्बतम तीन माह तक वांछित धनराशि जमा न करने पर शासन द्वारा गठित समिति का अनुमोदन प्राप्त कर विकासकर्ता कम्पनी को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दें।
- (vi) प्रस्तावित एल0आई0जी0 (अल्प आयवर्ग) के भवनों में 38.436 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र है। जिसमें दो रुम, टॉयलेट, किचन व बॉलकनी स्पेस है।
- (vii) विकासकर्ता द्वारा बैंकों से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता की जायेगी। परन्तु यह उनके कर्तव्यों में शामिल नहीं होगा।

5. आवंटी/आवेदक के मृत्यु की दशा में

यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके आवेदन पत्र में उल्लेखित नामित सदस्यों के पक्ष में आवंटित भवन को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये आवश्यक अभिलेखों के सत्यापन उपरान्त हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

6. आरक्षण

6.1 शासनादेश के अनुसार एल0आई0जी0 (अल्प आय वर्ग) श्रेणी में आरक्षण निम्न प्रकार देय होगा : -

क्रंस०	वर्ग	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जनजाति	02
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27
4.	विधायिक / सांसद व स्वतंत्रा सेनानी	05
5.	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो	05
6.	उप्रो0 आवास एवं विकास परिषद्, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	02
7.	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	03
8.	समाज के दिव्यांग व्यक्ति (शासनादेश दिनांक 19.12.2011)	03 हॉरिझॉन्टल
9.	60 वर्ष से अधिक आयके व्यक्ति	10 हॉरिझॉन्टल

6.2 आरक्षित श्रेणी में आवेदन करने वाले आवेदकों को आवेदन-पत्र के साथ उक्त श्रेणी में होने के घोषणा पत्र के साथ साक्ष्य के रूप में अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6.3 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के वृद्धजनों के लिए 10 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाये, परन्तु यह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा। उदाहरण स्वरूप यदि वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति का है तो उस वर्ग के लिए निर्धारित 21 प्रतिशत के आरक्षण का 10 प्रतिशत आरक्षण वृद्धजनों के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह आरक्षण हॉरिझॉन्टल होगा।

6.4 वृद्धजनों से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिन्होंने आवेदन की तिथि को 60 वर्ष की आय पूरी कर ली है।

- 6.5 आरक्षण के सम्बन्ध में सम्बन्धित श्रेणी को प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- 6.6 (अ) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे आवेदक से है जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम 2 माह की अवधि के लिए कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबन्दी या अप्डर ट्रायल कैटी के रूप में जेल में कम से कम 3 माह की अवधि के लिए रखा गया हो या कम से कम 10 बेतों की सजा पाई हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो।
- (ब) जो पेशावर काण्ड में रहा हो या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हो या भूतपूर्व इन्डिपेन्डेंस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हो।
- 6.7 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।
- 6.8 अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उत्तर प्रदेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम – 1994) अधिनियम संख्या – 4 सन् 1994 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। इस अधिनियम की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट नागरिकों को अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले आवेदकों की सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- 6.9 मेरठ विकास प्राधिकरण/जल संस्थान/नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है जो नियमित अधिशठन में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।
- 6.10 बिन्दु 7.3 व 7.4 का लाभ प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- 6.11 आरक्षण के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय—समय पर किये गये संशोधित आदेश लागू होंगे।

7. आवंटन

- 7.1 समस्त आवेदकों के मध्य आवंटन लॉटरी/झेंड्रों द्वारा किया जायेगा।
- 7.2 पंजीकरण के आधार पर विकासकर्ता कम्पनी आवेदक को भवन का आवंटन करने के लिये बाध्य नहीं है। यदि आवेदक को भवन नहीं मिलता तो वह विकासकर्ता कंपनी से किसी प्रकार का क्षतिकर या क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी नहीं होगा।
- 7.3 लॉटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से मेरठ विकास प्राधिकरण तथा विकासकर्ता के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाईट पर उपलब्ध होगा।
- (1) मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ की वेबसाईट www.mdameerut.in
- (2) विकास— कर्ता की वेबसाईट www.alphacorp.in
- 7.4 जो आवेदक पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं उनका आवेदन पत्र शासन द्वारा गठित समिति के अनुमोदन उपरान्त विकासकर्ता कम्पनी को निरस्त करने का अधिकार होगा तथा पंजीकरण धनराशि 45 दिन के अन्दर वापिस कर दी जायेगी।
- 7.5 यदि आरक्षित श्रेणी की आवासीय इकाईयां पंजीकृत नहीं होती हैं तो शासन द्वारा गठित समिति के अनुमोदन उपरान्त वह इकाईयां सामान्य श्रेणी में पंजीकृत कर दी जायेगी।
- 7.6 किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र रद्द कर दिये जायेंगे।
- 7.7 आवंटी द्वारा दिये गये पते पर आवंटन—पत्र व अन्य सूचना उसे रजिस्टर्ड डाक से प्रेशित की जायेगी, परन्तु यदि किसी भी कारण से पत्र बिना प्राप्त हुए वापस आ जाता है तो आवंटन पत्र एवं अन्य सूचना विकासकर्ता कम्पनी द्वारा पुनः

आवंटी को भेजी जायेंगी अगर फिर भी पत्र बिना प्राप्त हुए वापस आ जाता है तो शासन द्वारा गठित समिति के अनुमोदन उपरान्त विकासकर्ता कम्पनी द्वारा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस विषय में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7.8 यदि आवंटी के पते में कोई परिवर्तन होता है तो आवंटी की जिम्मेदारी होगी कि वह लिखित सूचना द्वारा विकासकर्ता कम्पनी को सूचित करें।

7.9 एलआईजी (अल्प आय वर्ग) भवनों का आवंटन अनुबंध के आधार पर किया जायेगा जिसमें भवनों को कब्जे/ विक्रय विलेख की तिथी से पांच वर्ष के उपरान्त ही किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय किया जा सकेगा।

7.10 योजना सम्पूर्ण भवनों के आवंटन तक लागू रहेगी। प्रथम चरण में 45 दिन के अन्दर प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों हेतु लॉटरी/झंड़ किया जायेगा।

7.11 आवंटित भवन का प्रयोग पूर्णतया: आवासीय होगा। आवासीय प्रयोग के अतिरिक्त यदि आवंटी द्वारा भवन का अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जाता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।

8. पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी

8.1 असफल आवेदकों की पंजीकरण धनराशि झंड़/लॉटरी के 30 दिन के अन्दर विकासकर्ता कम्पनी द्वारा बिना कटौती व बिना व्याज के एकॉउण्टपेची चैक द्वारा वापस कर दी जायेगी।

8.2 भवन के आवंटन के पश्चात् जमा धनराशि वापस लेने पर अथवा धनराशि जमा न करने के कारण हुये निरस्तीकरण के समय जमा धनराशि पर 10 प्रतिशत की कटौती के उपरान्त शेष धनराशि बिना व्याज के वापस की जायेगी।

8.3 भवन के निरस्तीकरण उपरान्त यदि आवेदक भवन का आवंटन पुर्णजीवित (बहाली) कराना चाहे तो वह निरस्तीकरण दिनांक से एक माह के अन्दर ही करा सकता है। भवन के आवंटन की बहाली के समय योजना में तत्समय लागू मूल्य पर भवन बहाल किया जा सकेगा व जिसमें तददिनांक तक जमा धनराशि को समायोजित किया जाएगा।

9. तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया जाता है तो शासन द्वारा गठित समिति के अनुमोदन उपरान्त विकासकर्ता कम्पनी को पूरा अधिकार होगा कि आवंटन/निबन्धन/अनुबन्ध निरस्त कर दें तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर लें। इसके लिए कानूनी कार्यवाही जो भी विधिवत् उचित समझी जायगी की जा सकती है।

10. भवनों का कब्जा

10.1 विकासकर्ता कम्पनी द्वारा आवंटन की तिथि से दो वर्ष के भीतर पूर्ण भुगतान के पश्चात् कब्जा दिया जाएगा।

10.2 अनुबन्ध/निबन्धन में आने वाला समस्त व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा।

10.3 विक्रय विलेख/कब्जे की तिथि के बाद आगामी महीनों में नियमानुसर अनुरक्षण व्यय/ रख-रखाव शुल्क (प्रतिमाह मेन्टीनेन्स चार्ज, कोरिडोर लाईट, स्टर्केस, लिफ्ट, आदि) 1 रुपया 50 पैसे (एक रुपया पचास पैसे) प्रति वर्ग फिट, की दर से, प्रति माह अनिवार्य रूप से देय होगा। विकासकर्ता कम्पनी उपरोक्त सुविधाओं हेतु रख-रखाव आर०डब्ल्य०४० बनने या एक वर्ष जो भी अधिक हो तक शुल्क लेकर करेगी। इसके पश्चात् आर०डब्ल्य०४० को उपरोक्त अवस्थापना सुविधाओं का रख-रखाव सौंप

दिया जायेगा। प्रत्येक वर्ष अनुरक्षण व्यय/रख—रखाव शुल्क में कोस्ट इन्डेक्स के अनुसार वृद्धि की जायेगी।

10.4 भवन का कब्जा प्राप्त करने के पूर्व आवंटी को सीवेज कनेक्शन चार्जिंग तथा जल सेवा, विद्युत सेवा का भुगतान अतिरिक्त देय होगा।

10.5 आवंटी भवन के बाहर की तरफ या कॉमन एरिया के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के साईन बोर्ड, प्रचार, विज्ञापन सामग्री नहीं लगायेगा और न ही किसी व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयोग करेगा।

10.6 भवन के कब्जे के उपरान्त आवंटी को विकासकर्ता कम्पनी के द्वारा निर्धारित रख—रखाव खर्च व्यय करना होगा। प्रत्येक आवंटी को आर०डब्ल्य०ए० का सदस्य होना अनिवार्य होगा।

10.7 एक से अधिक एल०आई०जी० (अल्प आय वर्ग) भवनों का अमलगमेशन अथवा उन्हें जोड़कर एक इकाई/भवन का निर्माण प्रतिबन्धित होगा।

11. भवनों का बन्धक रखने का प्राविधान

आवंटी को विकासकर्ता कम्पनी की पूर्व अनुमति/अनापत्ति से ऋण प्राप्त करने के लिए भवन बन्धक रखने का अधिकार होगा।

12. कर आदि की देयता

आवंटित भवन पर देय भवन कर, सेवा शुल्क तथा शासन द्वारा समय पर आरोपित अन्य शुल्क नियमानुसार आवंटी द्वारा देय होंगे।

13. अन्य सामान्य नियम व शर्तें

13.1 आवेदक को अपना बैंक एकॉउन्ट नम्बर देना अनिवार्य होगा।

13.2 विकासकर्ता कम्पनी द्वारा घोषित समय में भवनों का निबन्धन/कब्जा देने का यथासम्भव प्रयास किया जायेगा, परन्तु किन्हीं अपरिहार्य कारणों से इसमें विलम्ब होता है तो आवंटी को जमा धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए 15 प्रतिशत ब्याज की दर से धनराशि विकासकर्ता कम्पनी द्वारा दी जायेगी।

13.3 कम्पनी द्वारा दिये गये भुगतान षिड्यूल के अनुसार नियत समय पर धनराशि का भुगतान करना आवंटी का दायित्व है।

बकाया धनराशि जमा करने के लिए अनुस्मारक पत्र भेजना कम्पनी का दायित्व नहीं है, देय धनराशि समय से जमा न करने पर नियमानुसार विलम्ब अवधि के लिए 13 प्रतिशत ब्याज देया होगा। यदि देय किस्त को जमा करने में तीन माह से अधिक का विलम्ब होगा तो शासन द्वारा गठित समिति के अनुमोदन उपरान्त विकासकर्ता कम्पनी द्वारा आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

13.4 विकास कार्य/निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् पंजीकरण पुस्तिका में अंकित शर्तें दोनों पक्षों पर लागू मानी जायेगी उक्त शर्तों में कोई भी परिवर्तन शासन की नीतियों के अनुरूप गठित समिति के अनुमोदन उपरान्त लागू की जा सकेगी।

13.5 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र मेरठ होगा।

14. पंजीकरण प्रक्रिया

14.1 पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका दिनांक _____ से _____ तक किसी भी कार्य दिवस में कम्पनी के कार्यालय से एल०आई०जी० (अल्प आय वर्ग) के लिए मात्र रु 100/- अदा करके प्राप्त की जा सकती है।

- मेरठवन (इन्टीग्रेटेड टाइनशिप) ग्राम रोशनपुर डोरली एवं जाटौली, 70 कि.मी. माईल स्टोन, राष्ट्रीय राजमार्ग-58,

दिल्ली-रुड़की बाईपास, मोदीपुरम, मेरठ के विकसित क्षेत्र में स्थित।

14.2 पंजीकरण पुस्तिका ₹0 100/- का बैंक ड्रॉफट “अल्फा कॉर्प डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड” के पक्ष में भेज कर डाक द्वारा भी मंगायी जा सकती है, लेकिन डाक खर्च आवेदनकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा। डाक व्यवस्था में विलम्ब के लिए विकासकर्ता कम्पनी उत्तरदायी नहीं होगी।

14.3 विवरण पुस्तिका में संलग्न आवेदन पत्र पूर्ण रूपये भरें। पंजीकरण धनराशि एवं समस्त भुगतान, स्थानीय बैंकर्स चैक/डिमांड ड्रॉफट/पे-ऑर्डर द्वारा अल्फा कॉर्प डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में देय होंगे। व्यक्तिगत चैक मान्य नहीं होंगे।

14.4 पूर्णरूप से भरें आवेदन—पत्र कार्यालय मेरठवन (इन्टीग्रेटेड टाऊनशिप) मेरठ में जमा किये जायेंगे।

- मेरठवन (इन्टीग्रेटेड टाऊनशिप) ग्राम रोशनपुर डोरली एवं जाटौली, 70 कि.मी. माईल स्टोन, राष्ट्रीय राजमार्ग-58, दिल्ली-रुड़की बाईपास, मोदीपुरम, मेरठ के विकसित क्षेत्र में स्थित। मोबाइल नं 90684-22777

14.5 पात्र आवेदकों की सूची मेरठ विकास प्राधिकरण व विकासकर्ता कम्पनी के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाईट पर उपलब्ध होगी।

(i) मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ की वेबसाईट www.mdameerut.in

(ii) विकास—कर्ता की वेबसाईट www.alphacorp.in

14.6 पात्र आवेदकों की सूची जारी होने की तिथि से 30 दिन के भीतर लॉटरी/झौंकों के माध्यम से भवनों का आवंटन किया जाएगा। लाटरी/झौंकों की तिथि का प्रकाशन को हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में किया जायेगा।

15. आवेदन—पत्र भरने के लिए अनुदेश :

15.1 आवेदक द्वारा आवेदन—पत्र में नाम व पता पूर्ण रूप से और साफ अक्षरों में भरा जाना चाहिए। अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण भरे गये आवेदन — पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

15.2 संयुक्त नाम से प्रस्तुत किये गये आवेदन—पत्र में दोनों आवेदकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

15.3 आवेदन—पत्र पर आवेदक/आवेदकों का पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य होगा।

15.4 आवेदक द्वारा दिये गये डिमांड ड्रॉफट/पे-ऑर्डर/बैंकर्स चैक के पीछे पूरा नाम, पता एवं मोबाइल नं०/फोन नं० तथा आवेदन—पत्र का क्रमांक अंकित करना अनिवार्य होगा। डिमांड ड्रॉफट/पे-ऑर्डर/बैंकर्स चैक “अल्फा कॉर्प डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड” के नाम अंकित होना चाहिए।

16. भुगतान पद्धति के कोड :

(अ) एकमुश्त भुगतान प्लॉन का कोड 001

17. विनियमों में किसी बात के रहते हुए भी किन्हीं विषेश परिस्थितियों में शासन द्वारा गठित समिति में अनुमोदन उपरान्त विकासकर्ता कम्पनी को अन्यथा निर्णय लेने का पूरा अधिकार होगा जो आवेदक/आवंटी को मान्य होगा।

18. इन शर्तों के संधेन/परिवर्तन/परिवर्धन का पूर्ण अधिकार शासन द्वारा गठित समिति के अनुमोदन उपरान्त विकासकर्ता कम्पनी में निहित हैं, जो आवेदक/आवंटी को मान्य होंगे।

19. सोसाईटी/अपार्टमेण्ट एक्ट के सम्बन्ध में

सोसाईटी/अपार्टमेण्ट एक्ट के अन्तर्गत प्रचलित नियम एवं शर्तें आवंटी व विकासकर्ता कम्पनी पर लागू रहेंगी एवं इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश भी विकासकर्ता कम्पनी व आवंटी पर बाध्यकारी होंगे।

एल0आई0जी0 (अल्प आय वर्ग) की भुगतान पद्धति

(अ) एकमुश्त भुगतान प्लॉन

1.	रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) के समय	20,000/- रुपया
2.	झौं/लॉटरी की तारीख से 30 दिन के अन्दर	95 प्रतिशत (पंजीकरण शुल्क सहित)
3.	कब्जे के प्रस्ताव के समय	5 प्रतिशत व अन्य शुल्क

आवेदन पत्र

अल्फा कॉर्प डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड

प्रधान ऑफिस: अल्फा कॉर्प डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, गोल्फ वियू कॉर्पोरेट टावर्स, टावर ए, सेक्टर 42, गोल्फ कॉर्स रोड, गुरुग्राम 122002 (हरियाणा)

रजिस्टर्ड ऑफिस: अपर बैसमेन्ट, अल्फा बन मॉल, एम. बी. एम. फार्म, जी. टी. रोड, सुलतान बिंड सब अर्बन, अमृतसर 143001 (पंजाब)

प्रोजेक्ट ऑफिस: मेरठ बन, ग्राम रोशनपुर डोरली एवं जाटौली (70 कि.मी. माईल स्टोन, राष्ट्रीय राजमार्ग-58), दिल्ली-रुड़की वाईपास, मोदीपुरम, मेरठ (उत्तर प्रदेश)

एल0आई0जी0 (अल्प आय वर्ग) भवनों के लिए प्रार्थियों हेतु भवन योजना

पं.सं.....

1. योजना का नाम मेरठवन (इन्टीग्रेटेड टाइनिंग) मेरठ।
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में).....
APPLICANT'S NAME (IN ENGLISH)
3. पिता/पति का नामआवेदक की आयु
4. सह-आवेदक का नाम (हिन्दी में).....
CO-APPLICANT'S NAME (IN ENGLISH)
5. पिता/पति का नाम.....सह आवेदक की आयु
(संयुक्त आवेदन की दशा में दोनों का विवरण भरा जायें)
6. पता (अ) वर्तमान पता (व्यवहार हेतु).....
.....पिनकोड़..... टेलिफोन नं.....
(ब) स्थायी पता.....
7. आरक्षण श्रेणी (आरक्षित श्रेणी का उल्लेख करें).....
- 8 पंजीकरण धनराशि की वापसी हेतु आवेदक के बैंक खाते का विवरण
बैंक का नाम.....शाखा का नाम.....
खाता संख्या.....आई0एफ0एस0सी0 कोड.....
9. जमा की गयी पंजीकरण धनराशि का विवरण
पंजीकरण धनराशि रु.....(शब्दों में).....
डिमांड ड्रापट सं0/बैंकस चैक सं0/पे-आर्डर सं0.....दिनांक.....बैंक का नाम.....
शाखा.....पता.....
10. आवेदक का व्यवसायवार्षिक आय
11. पैन नं0.....आधार कार्ड नं0.....
12. नामित सदस्यों का विवरण :
नामित सदस्य का नाम नामित सदस्य की आय नामित सदस्य का आवेदक/सह आवेदक से संबंध
 - 1.....
 - 2.....
 - 3.....

13. भुगतान पद्धति के कोड :
(अ) एकमुश्त भुगतान प्लान का कोड 001। मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गयी सूचना मेरी जानकारी में सत्य है एवं इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है ताकि इसका कोई भाग असत्य नहीं है। मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम एवं शर्तों को भली-भाँति पढ़/समझ लिया है तथा मैं उनसे सहमत हूँ/हैं तथा मैं/हम उन्हें मानने के लिए बाध्य हूँ/हैं। मैं/हम यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि ऊपर दी गयी कोई सूचना अथवा सूचना का कोई भाग असत्य या अपूर्ण पायी जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने तथा अन्य विधिक कार्यवाही करने की अधिकारी होगी।
दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

सह आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय प्रयोग हेतु

पंजीकरण का दिनांक आवंटित पंजीकरण संख्या
आवंटित भवन संख्या आवेदन पत्र संख्या एवं निर्गत होने की तिथि

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम स्पष्ट अक्षरों में

प्रधान ऑफिस: अल्फा कॉर्प डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, गोल्फ वियू कॉर्पोरेट टावर्स, टावर ए, सेक्टर 42, गोल्फ कॉर्स रोड, गुरुग्राम 122002 (हरियाणा)

रजिस्टर्ड ऑफिस: अपर बेसमेन्ट, अल्फा वन मॉल, एम. बी. एम. फार्म, जी. टी. रोड, सुलतान विंड सब अर्बन, अमृतसर 143001 (पंजाब)

प्रोजेक्ट ऑफिस: मेरठ वन, ग्राम रोशनपुर डोरली एवं जाटौली (70 कि.मी. माईल स्टोन, राष्ट्रीय राजमार्ग-58), दिल्ली-रुड़की बाईपास, मोदीपुरम, मेरठ (उत्तर प्रदेश)

एल0आई0जी0 (अल्प आय वर्ग) भवनों के लिए प्रार्थियों हेतु भवन योजना

घोषणा—पत्र

- मैं/हम पुत्र/पुत्री..... जिला उत्तर प्रदेश का/के मूल निवासी हैं।
- मेरे/हमारे या मेरे/हमारे परिवार (पति/पत्नी तथा आश्रित/अवयस्क बच्चों एवं तलाकशुदा पुत्री) के पास उत्तर प्रदेश के किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में विकास विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद्/अन्य विभाग द्वारा आवंटित कोई भी भूखण्ड नहीं है। यदि यह घोषणा भविष्य में असत्य पायी जाये तो विकासकर्ता कम्पनी को यह अधिकार होगा कि वह आवंटित भूखण्ड/भवन निरस्त कर दें तथा समस्त जमा धनराशि जब्त कर लें। यदि भूखण्ड की रजिस्ट्री हो गयी हो तो इस मिथ्या निरूपण के कारण जुर्माने/दण्ड स्वरूप रजिस्टीकृत भूखण्ड के मूल्य के बराबर धनराशि भू-राजस्व की भाँति मुझसे/हमसे वसूल कर लें।
- मैं/हम समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूँगा/करूँगी। यदि मेरा/हमारे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं विकासकर्ता कम्पनी उक्त के कारण मेरा/हमारा आवंटन निरस्त करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- आवेदन—पत्र में भरे/हमारे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये हैं वे सब सत्य हैं।
- मेरे/हमारे द्वारा पंजीकरण फार्म में खाता सम्बन्धी विवरण दिया गया है वह कम से कम अगले दो वर्ष तक मान्य रहेगा।
- मैंने/हमने पंजीकरण पुस्तिका में अंकित शर्तों का भली-भौति अवलोकन कर लिया है तथा पंजीकरण पुस्तिका में अंकित शर्तों के अधीन इस योजना में भवन प्राप्त करने की अर्हता रखता हूँ/रखते हैं।
- यह कि यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मैंने/हमने स्वयं के सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण विकासकर्ता को दिए हैं तो विकासकर्ता कम्पनी को मेरे/हमारे विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार होगा जो विकासकर्ता कम्पनी उचित समझे।

यह कि मैं/हम शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/करते हैं कि शपथ पत्र की धारा-1 से 7 तक दिया गया कथन मेरे/हमारे निजी ज्ञान में सत्य है तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

साक्षी

(आवेदक के हस्ताक्षर)

(सह आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदन पत्र के साथ स्वतः प्रमाणित जमा किये जाने वाले प्रपत्रों की सूची एवं चैक लिस्ट।

1. आवेदन पत्र— आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित एवं सभी जानकारी निर्धारित स्थान पर भरी गयी हो।
2. पहचान पत्र— आवेदक का पैनकार्ड/मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/बैंक द्वारा सत्यापित पासबुक फोटो सहित की स्वतः प्रमाणित छाया प्रति।
3. निवास प्रमाण पत्र— तहसील अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र जो एक वर्श की अवधि के भीतर जारी हुआ हो।
4. आवेदक एवं सह आवेदक की दो-दो पासपोर्ट साईज फोटो।
5. आय प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा जारी प्रमाण पत्र)
6. जाति प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा जारी प्रमाण पत्र)
7. घोषणा पत्र— आवेदन पत्र के साथ संलग्न घोषणा पत्र दस रुपये के स्टाम्प पेपर पर आवेदक की फोटो के साथ नोटराइज्ड होना चाहिए।
8. पंजीकरण धनराशि ₹0 20,000/- डिमांड ड्रॉफ्ट/पे—आर्डर/बैंकर्स चैक “अल्फा कॉर्प डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड” के नाम देय होना चाहिए।

(आवेदक के हस्ताक्षर).....

(सह आवेदक के हस्ताक्षर).....

विकासकर्ता के रिकार्ड हेतु

(आवेदक द्वारा स्वयं भरा जायेगा)

प्रधान ऑफिस: अल्फा कॉर्प डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, गोल्फ वियू कॉर्पोरेट टावर्स, टावर ए, सेक्टर 42, गोल्फ कॉर्स रोड, गुरुग्राम 122002 (हरियाणा)

रजिस्टर्ड ऑफिस: अपर बेसमेन्ट, अल्फा बन मॉल, एम. बी. एम. फार्म, जी. टी. रोड, सुलतान विंड सब अर्बन, अमृतसर 143001 (पंजाब)

प्रोजेक्ट ऑफिस: मेरठ बन, ग्राम रोशनपुर डोरली एवं जाटौली (70 कि.मी. माईल स्टोन, राष्ट्रीय राजमार्ग-58), दिल्ली-लुडकी वाईपास, मोदीपुरम, मेरठ (उत्तर प्रदेश)

एल0आई0जी0 (अल्प आय वर्ग) भवनों के लिए प्रार्थियों हेतु भवन योजना

पंजीकरण फार्म नम्बर

आवेदक का नाम

डिमांड ड्रापट सं0/बैंकर्स चैक सं0/पे—आर्डर सं0..... धनराशि

दिनांक..... निर्गत करनें वाले बैंक का नाम.....

शाखा.....

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर

विकासकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुहर

आवेदक की प्राप्ति रसीद (आवेदक द्वारा स्वयं भरा जायेगा)

पंजीकरण फार्म नम्बर

आवेदक का नाम

डिमांड ड्रापट सं0/बैंकर्स चैक सं0/पे—आर्डर सं0..... धनराशि


दिनांक..... निर्गत करनें वाले बैंक का नाम.....

शाखा.....

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर

विकासकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुहर



ALPHACORP

Alpha Corp Development Private Limited

MeerutOne, 70 KM Milestone, Roorkee Road Bypass, NH - 58, Modipuram, Meerut - 250001, Phone: +91 89798 86666

Disclaimer: While all reasonable care has been taken in preparing this brochure, Alpha Corp Development Private Limited and associate companies reserve the right to add / delete / modify / amend any specification, facilities, terms & conditions and to revise layout plans, designs and elevations as may be required without prior notice.
Group Housing project approved by Chief Town Planner, Meerut Development Authority, Meerut (U.P.) completion Map No. 619/12 (Revised) vide letter no. 619/12 Manchitra Anubhag/ Zone B dated 13/12/2017 issued in the name of Epitome Real Tech Private Limited, (now amalgamated with Alpha Corp Development Private Limited).

RERA Registration No. - UPRERAPRJ11528